रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 191] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 27, 2014/आषाढ़ 6, 1936
No. 191] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 27, 2014/ASHADHA 6, 1936

भारतीय दंत चिकित्सा परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2014

सं.डीई-97-2014.—दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 17ए के साथ पठित धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से, दंत चिकित्सक (आचार संहिता) विनियम, 1976 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई संबन्धित बातों या किए जाने वाले लोप के सिवाय, एतद्द्वारा भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (आचार संहिता) विनियम बनाती है :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :**

1.1 इन विनियमों को संशोधित दंत चिकित्सक (आचार संहिता) विनियम, 2014 कहा जा सकेगा।

1.2 ये भारत के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. **परिभाषाएँ :**

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

2.1 'अधिनियम' से दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) अभिप्रेत है;

2.2 'परिषद' से भारतीय दंत चिकित्सा परिषद अभिप्रेत है।

2.3 दंत चिकित्सक से परिषद के साथ पूर्व पंजीकरण की हैसियत से पंजीकरण योग्य डेंटल डिग्री) राज्य चिकित्सकीय रजिस्टर के भाग ए या भाग बी में (या परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डेंटल सर्जरी) बीडीएस (की स्नातक उपाधि प्रदान व्यक्ति अभिप्रेत है , दंत चिकित्सक या दंत सर्जन के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा;

2.4 स्नातकोत्तर डेंटल डिग्री भारतीय दंत चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से दंत चिकित्सा के किसी भी विषय में दीक्षांत समारोह में प्राप्त एमडीएस के रूप में किसी भी स्नातकोत्तर अर्हता या एमडीएस के समकक्ष किसी भी अन्य स्नातकोत्तर अर्हता को संदर्भित करता है जो परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हो;

2.5 इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित न किए गए सभी भावों का अर्थ वही होगा जो अधिनियम और उनके तहत समय - समय बनाए गए विनियमों में उन्हें निर्दिष्ट किया गया हो।

अध्याय 1

3. चिकित्सकीय आचार संहिता

क. **घोषणा**

प्रत्येक दंत चिकित्सक जो इन विनियमों के आरंभ होने से तीस दिन की अवधि में पंजीकृत) राज्य दंत चिकित्सक रजिस्टर के भाग ए या भाग बी में (होता है और प्रत्येक दंत चिकित्सक जो इन विनियमों के आरंभ होने की तिथि से तीस दिन की अवधि में स्वयं को राज्य दंत चिकित्सा परिषद में पंजीकृत करवाता है, इन विनियमों की अनुसूची में इस प्रयोजन हेतु निर्धारित प्रपत्र में घोषणा करनी होगी कि विनियमों को पढ़ और समझ लिया गया है और इनका पालन होगा।

ख . **दंत चिकित्सक के सामान्य कर्तव्य और बाध्यता**

3.1 **दंत चिकित्सक / दंत सर्जन का चरित्र**

मुख के रोगों की शल्य चिकित्सा और चिकित्सा उपचार में शिक्षित और प्रशिक्षित स्वास्थ्य पेशेवर के रूप में दंत चिकित्सक/दंत सर्जन की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, वह:

(3.1.1) एक स्वतंत्र स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर एवं अपने मिशन के उच्च चरित्र को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्यों के निर्वहन की जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहेगा और हमेशा स्मरण रखेगा कि रोगी की देखभाल और बीमारी की चिकित्सा उसके कौशल और उसके तत्काल ध्यान पर निर्भर करेगी और हमेशा स्मरण रखेगा कि उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, पेशेवर क्षमता और निष्ठा उसकी सर्वोत्तम संस्तुती बनी रहेंगी;

(3.1.2) रोगियों के कल्याण को सभी अन्य बातों से सर्वोपरि माने और अपनी अधिकतम क्षमता से इसका संरक्षण करें।

(3.1.3) अपने रोगियों के प्रति विनम्र सहानुभूतिपूर्ण, दोस्ताना और उपकारी बनें, उनके बुलावे पर उत्तर देने हेतु हमेशा तत्पर रहें और हर परिस्थिति में अपने रोगियों और जनता के बीच विनम्र और गरिमापूर्ण व्यवहार बनाए रखें;

3.2 **अच्छी नैदानिक प्रथाओं को बनाएँ रखे**

चिकित्सकीय पेशे का प्रमुख उद्देश्य पेशे और व्यक्ति की गरिमा हेतु पूर्ण सम्मान सहित मानवता की सेवा करना है। दंत चिक्तिसकों को सेवा और समर्पण के साथ पूरे उपाय करते हुए देखभाल के लिए आए रोगियों के विश्वास पर खरा उतरना चाहिए। उन्हें चिकित्सा ज्ञान और कौशल में सुधार हेतु निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए और अपने रोगियों और सहयोगियों को अपनी व्यावसायिक उपलब्धियों से लाभान्वित करना चाहिए। दंत चिकित्सक/दंत सर्जन को वैज्ञानिक आधार पर स्थापित चिकित्सा के तरीकों का अभ्यास करना चाहिए और इस सिद्धांत का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ पेशेवर संबंध नहीं रखना चाहिए। दंत चिकित्सा पेशे के सम्मानित आदर्श हैं कि दंत चिकित्सक पेशेवरों की जिम्मेदारियां केवल व्यक्तियों के लिए नहीं, अपितु समाज के लिए हैं।

(3.2.1) चिकित्सकीय पेशे का प्रमुख उद्देश्य पेशे और व्यक्ति की गरिमा हेतु पूर्ण सम्मान सहित मानवता की सेवा करना है। दंत चिकित्सों को सेवा और समर्पण के साथ पूरे उपाय करते हुए देखभाल के लिए आए रोगियों के विश्वास पर खरा उतरना चाहिए। उन्हें चिकित्सा ज्ञान और कौशल में सुधार हेतु निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए और अपने रोगियों और सहयोगियों को अपनी व्यावसायिक उपलब्धियों से लाभान्वित करना चाहिए। दंत चिकित्सक/दंत सर्जन को वैज्ञानिक आधार पर स्थापित चिकित्सा के तरीकों का अभ्यास करना चाहिए और इस सिद्धांत का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ पेशेवर संबंध नहीं रखना चाहिए। दंत चिकित्सा पेशे के सम्मानित आदर्श हैं कि दंत चिकित्सक पेशेवरों की जिम्मेदारियां केवल व्यक्तियों के लिए नहीं, अपितु समाज के लिए हैं।

(3.2.2) डेंटल और मेडिकल संघों और सोसाइटियों की सदस्यता :अपने पेशे की उन्नति के लिए, दंत चिकित्सक को दंत, मुख और सम्बद्ध चिकित्सीय पेशेवरों के संगठनों और सोसाइटियों से संबंधित होने, विशेष रूप से मुख स्वास्थ्य और सामान्य रूप से व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु सक्रिय भूमिका निभाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए है।

(3.2.3) दंत चिकित्सक/दंत सर्जन को समय-समय पर सांविधिक निकायों द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार डेंटल और मेडिकल शिक्षा कार्यक्रमों /वैज्ञानिक सेमिनारों /कार्यशालाओं की पेशेवर बैठकों में भाग लेकर अपने व्यावसायिक ज्ञान को समृद्ध करना चाहिए और विनिर्दिष्ट किए अनुसार राज्य पंजीकरण निकायों या किसी अन्य निकाय के साथ भी अनिवार्य आवश्यकताएं दर्ज करानी चाहिए।

3.3 **<u>चिकित्सकीय / मेडिकल रिकॉर्ड का रखरखाव:</u>**

(3.3.1) प्रत्येक दंत सर्जन अपने बाह्य रोगियों और भर्ती किए गए रोगियों) जहां लागू हो (से संबंधित रिकॉर्ड रखेगा। ये रिकॉर्ड परिषद द्वारा निर्धारित या दस्तावेज के मानक प्रकार के रूप में स्वीकार किए गए प्रारूप में उपचार आरंभ होने की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक अनिवार्य रूप से संरक्षित किए जाने चाहिए।

(3.3.2) यदि रोगियों/अधिकृत परिचर या संबद्ध कानूनी अधिकारियों द्वारा मेडिकल या दंत चिकित्सा के रिकॉर्ड का अनुरोध किया जाता है तो सभी दस्तावेजों के लिए वैध रसीद प्राप्त कर 72 घंटे के भीतर इसे सक्षम प्राधिकारी को जारी किया जाए। ऐसी प्रस्तुतियों की प्रमाणित फोटो प्रतियां / कार्बन प्रतियां रखना समझदारी होगी।

(3.3.3) पंजीकृत दंत चिकित्सक, जारी प्रमाणपत्रों की पूरी जानकारी देते हुए चिकित्सा प्रमाणपत्र का एक रजिस्टर करेगा। चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी करते समय वह रोगी की पहचान के चिन्हों को दर्ज करेगा और प्रमाणपत्र की एक प्रतिलिपि रखेगा। वह चिकित्सा प्रमाणपत्र या रिपोर्ट पर रोगी के हस्ताक्षर और/या अंगूठे का निशान, पता और मरीज की कम से कम एक पहचान अवश्य दर्ज करेगा। चिकित्सा प्रमाणपत्र इस दस्तावेज़ के परिशिष्ट 2, संशोधित दंत चिकित्सक आचार संहिता, 2012, के रूप में तैयार किया जाएगा।

(3.3.4) शीघ्र बहाली के लिए दंत/मेडिकल रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के प्रयास किए जाएं।

3.4 **<u>पंजीकरण संख्या का प्रदर्शन:</u>**

(3.4.1) प्रत्येक दंत चिकित्सक राज्य दंत चिकित्सा परिषद द्वारा उसे दी पंजीकरण संख्या अपने क्लीनिक और अपने रोगियों को दिए गए सारे नुस्खों, प्रमाणपत्रों और धन प्राप्ति की रसीदों में प्रदर्शित करेगा।

(3.4.2) दंत सर्जन अपने नाम के साथ केवल मान्यताप्राप्त डेंटल डिग्रियां प्रदर्शित करेगा जो परिषद से मान्यताप्राप्त हैं या प्रमाणपत्र/डिप्लोमा और सदस्यता/सम्मान /अध्येतावृत्तियां जो मान्यताप्राप्त

विश्वविद्यालयों/परिषद के अनुमोदित मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा दी जाती हों और दीक्षांत समारोह में स्वयं या अनुपस्थिति में प्राप्त की हों। कोई अन्य अर्हता जैसे चिकित्सा डिग्री, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री या कोई अन्य डिग्री, जो व्यक्ति के ज्ञान या अनुकरणीय अर्हता पर प्रभाव डालती हो, को इस तरीके से प्रत्यय रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है कि प्रैक्टिशनर के ज्ञान या डेंटल पेशेवर के रूप में क्षमता के संबंध में पर्यवेक्षक या रोगी पर कोई गलत प्रभाव न डालता हो। संघ या पेशेवरों के संगठनों में सदस्यता के संक्षिप्त रूप को इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए जो जनता को गुमराह करे।] प्रासंगिक विवरण के लिए इस दस्तावेज़ का अनुच्छेद 8.9.3, संशोधित दंत चिकित्सक आचार विनियम संहिता, 2012 देखें]

3.5 **दवाइयों का नुख्सा**

प्रत्येक दंत सर्जन को उत्तरदायी ढंग से दवाइयों का नुख्सा लिखने और दवाई देने और दवाओं के सुरक्षित और तर्कसंगत उपयोग को सुनिश्चित करने की ओर ध्यान देना चाहिए। जहां तक संभव हो, उन्हें दवाई का नुख्सा व्यापक रूप में लिखना चाहिए।

3.6 **रोगी की देखभाल में उच्चतम गुणवत्ता का आश्वासन:**

प्रत्येक दंत चिकित्सक को गुणवत्ता उपचार सुनिश्चित करना चाहिए जिसमें उपचार के परिणाम से समझौता न हो। वह अन्य चिकित्सकों के कदाचार के प्रति अवश्य जागरूक रहे जिससे दूसरों का जीवन जोखिम में पड़ सकता है और जनता को नुकसान पहुँचने की संभावना होती है। सभी चिकित्सकों को अयोग्य व्यक्तियों के अनैतिक आचरण और व्यवहार की जानकारी होनी चाहिए। दंत चिकित्सक/दंत सर्जन को अपने पेशेवर व्यवसाय में किसी भी ऐसे परिचर को रोजगार पर नहीं रखना चाहिए जो न तो दंत चिकित्सक कानून के तहत पंजीकृत हो और न ही सूचीबद्ध हो और ऐसे व्यक्तियों को रोगियों की देखभाल करने, उपचार करने या ऑपरेशन करने की अनुमति न दें जहां पेशेवर विवेक या कौशल की आवश्यकता हो।

3.7 **अनैतिक आचरण का भंडाफोड़:**

दंत सर्जन को, भय रहित या बिना पक्षपात, पेशे के सदस्यों की ओर से अक्षम या भ्रष्ट, बेईमान या अनैतिक आचरण का भंडाफोड़ करना चाहिए। दंत सर्जन का यह उत्तदायित्व है कि वह उनकी जानकारी में आने वाले नीमहकीमी और डॉक्टर-रोगी यौन दुराचार, यौन कदाचार, वैश्वासिक संबंध के दुरुपयोग, बाल उत्पीड़न और अन्य सामाजिक बुराइयों की रिपोर्ट सक्षम अधिकारियों को करे।

3.8 **व्यावसायिक सेवाओं का भुगतान:**

अपने पेशे के अभ्यास में लगे हुए दंत सर्जन, मरीजों के हितों को प्राथमिकता देंगे। किसी दंत सर्जन के व्यक्तिगत वित्तीय हितों का टकराव रोगियों के चिकित्सा हितों से नहीं होगा। दंत चिकित्सक को सेवा प्रदान करने से पूर्व अपनी फीस की सूचना देनी चाहिए न कि आपॅरेशन करने के बाद अथवा इलाज करते समय। ऐसी सेवाओं के लिए प्राप्त पारिश्रमिक राशि के रूप में होना चाहिए और सेवा प्रदान करते समय रोगी को दी गई राशि की सूचना के अनुसार होनी चाहिए। "निरोग नहीं-कोई भुगतान नहीं "का अनुबंध करना अनैतिक है। सरकार की ओर से दंत सर्जन सेवा देने वालों को किसी भी प्रतिफल की आशा करने या स्वीकार करने से बचना होगा। जबकि साथी दंत चिकित्सक या चिकित्सा पेशेवरों और उनके निकट परिवार के लिए नि:शुल्क परामर्श प्रदान करना अनिवार्य नहीं है, जहां अधिक खर्च न हुआ हो वहाँ मुफ्त या रियायती परामर्श और उपचार प्रदान करना एक शिष्टाचार माना जाएगा।

3.9 **विधियों का अवलोकन**:

दंत सर्जन दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 और इसके संशोधन सहित अपने पेशे के अभ्यास के विनियमन में देश के कानूनों का पालन करेगा और इस तरह के नियमों का उल्लंघन करने के लिए दूसरों की सहायता भी नहीं करेगा। उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में सेनेटरी कानूनों और नियमों के अनुपालन और प्रवर्तन में सहयोगी होना चाहिए। उन्हें औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940; भेषजी

अधिनियम, 1948; स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985; पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986; औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम,1954 ; निशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम,1995; और जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग) अधिनियम,1998 और केंद्र /राज्य सरकारों या स्थानीय प्रशासनिक निकायों या किसी भी अन्य प्रासंगिक अधिनियम द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण और संवर्धन के लिए बनाए गए अधिनियमों, नियमों, विनियमों के उपबंधों का पालन करना चाहिए ।

3.10 **पेशेवर प्रमाणपत्र, रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना:**

दंत चिकित्सा और मुख शल्य चिकित्सीय समस्याओं के उपचार में स्वतंत्र रूप से लगे किसी पंजीकृत डेंटल सर्जन को प्रमाणपत्र, सूचनाएं, रिपोर्टों आदि पर हस्ताक्षर करने को कहा जा सकता है। वह इस तरह के प्रमाणपत्र जारी करने और उन पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। विकलांगता, मुख और जबड़े में चोट , दंत शल्य चिकित्सक की देखभाल के दौरान होने वाली मौतों से संबंधित दस्तावेजों पर बाद में अदालतों में उपयोग या प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए अपनी पेशेवर क्षमता में उनके द्वारा ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। इस तरह के दस्तावेजों में, अन्यों के साथ, परिशिष्ट 4 पर दिए गए दस्तावेज़ शामिल हैं। किसी भी पंजीकृत दंत सर्जन जिसे इसी तरह के प्रमाणपत्र, अधिसूचना, रिपोर्ट या दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करते हुए पाए जाने पर या उसके नाम और अधिकार तहत पता लगने पर ,जो असत्य, भ्रामक या अनुचित है, उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा।

अध्याय 2

4. दंत चिकित्सकों के अपने रोगियों के प्रति कर्तव्य

4.1 रोगियों के प्रति दायित्व

(4.1.1) यद्यपि कोई दंत सर्जन ,उसकी सेवाएं मांगने वाले प्रत्येक व्यक्ति का उपचार करने के लिए बाध्य नहीं है, उसे क्लिनिक में आपातकालीन रिपोर्ट करने वाले की सेवा करनी चाहिए और उसे मिशन के उच्च चरित्र और अपने पेशेवर कर्तव्यों के क्रम में निर्वहन की जाने वाली जिम्मेदारी के प्रति जागरूक होना चाहिए। दंत सर्जन को यथासंभव अपने निर्धारित समय में मरीजों को देखना चाहिए जब तक कि अप्रत्याशित विलंब के कारण ऐसा करने में वो असमर्थ न हो। उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए कि स्वास्थ्य और देखभाल के लिए आए रोगियों का जीवन उनके कौशल और ध्यान पर निर्भर करता है। दंत सर्जन का रोगी को किसी डेंटल सर्जन या चिकित्सक की सेवा लेने की सलाह देना स्वीकार्य है। हालांकि आपातकालीन चिकित्सा के मामले में दंत सर्जन को हृदय प्रकरणों के मामले में पुनर्जीवन सहित पर्याप्त देखभाल करनी आनी चाहिए।

(4.1.2) दंत सर्जन अपने विवेक अनुसार उपचार से मना कर सकते हैं लेकिन यह रंग, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता या एचआईवी या अन्य संक्रामक रोगों की उपस्थिति के किसी भेदभाव पर आधारित नहीं होना चाहिए। हालांकि चिकित्सीय देखभाल के आदेश को ध्यान में रखते हुए दंत सर्जन को उपचार करना जारी रखना चाहिए यदि उन्होंने इलाज के लिए मरीज को स्वीकार किया है। उपचार रोगी की इच्छा या जिस शिकायत के लिए रोगी ने उपचार की मांग की थी उसके समाधान होने पर उपचार समाप्त किया जा सकता है। उपचार को तब भी समाप्त किया जा सकता है यदि रोगी को अतिरिक्त या विशेषज्ञ देखभाल की जरूरत हो और दंत सर्जन उसका उपचार करने के लिए सुविधाओं से लैस न हो या यदि यह उसकी विशेषज्ञता से

बाहर आता हो। ऐसे मामलों में, रोगी को ऐसे विशेषज्ञों या उच्चतर केन्द्रों में भेजा जाना चाहिए जहां उपचार संभव हो।

(4.1.3) रोगी को हानि पहुंचाने वाले अक्षम दंत चिकित्सक या जो उसके कार्य-प्रदर्शन बनाम रोगी को प्रभावित कर सकते हैं, को अपने पेशे का अभ्यास करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

4.2 **गोपनीयता:**

रोगियों को किसी दंत सर्जन को व्यक्तिगत या घरेलू जीवन की गोपनीयता प्रकट करने और किसी रोगी का पेशेवर रूप में उपचार करते समय रोगियों के स्वभाव या चरित्र में दोष को तब तक उजागर नहीं करना चाहिए जब तक राज्य के कानूनों द्वारा इसे उजागर करना आवश्यक न हो। तथापि, कभी-कभी, चिकित्सक को यह निर्णय लेना चाहिए कि क्या स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के रूप में गोपनीयता के माध्यम से प्राप्त जानकारी को समाज के प्रति अपने कर्तव्य के लिए संचारी रोग के खिलाफ स्वस्थ व्यक्ति की रक्षा के लिए काम में लेने की आवश्यकता है। इस तरह के उदाहरण में, दंत सर्जन को इस रूप में कार्य करना चाहिए जैसेकि इस तरह की समान परिस्थितियों में अपने ही परिवार के किसी सदस्य के लिए किसी अन्य से कार्य करवाने की इच्छा होगी।

4.3 **रोग का निदान:**

डेंटल सर्जन को रोगी की बीमारी की गंभीरता को न तो बढ़ा-चढ़कर और न ही कम करके बताना चाहिए। उन्हें स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि रोगी, उसके संबंधियों और उसके उत्तरदायी मित्रों को रोगी की हालत की जानकारी है ,इससे रोगी और परिवार के सर्वोत्तम हितों में मदद मिलेगी।

4.4 **रोगी की उपेक्षा न की जाए :**

डेंटल सर्जन इसका चुनाव करने में स्वतंत्र है कि वह किसकी सेवा करे। हालांकि, आपात स्थिति में सहायता के किसी भी अनुरोध का उसे जवाब देना चाहिए। एक बार मामला स्वीकारने पर, दंत सर्जन को न तो रोगी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और न ही रोगी और उनके परिवार को पर्याप्त सूचना दिए बिना उन्हें मामले से हट जाना चाहिए। वह जानबूझकर उपेक्षा का काम नहीं करेगा जो आवश्यक डेंटल / चिकित्सा देखभाल से उनके रोगी या रोगियों को वंचित कर सकता है।

अध्याय 3

5. दंत सर्जनों और विशेषज्ञों के परामर्श में कर्तव्य

5.1 परामर्शी शिष्टाचार

(5.1.1) दंत सर्जन को आमतौर पर अपनी योग्यता और प्रशिक्षण के अनुसार मुख की सभी आम बीमारियों से निपटने में सक्षम होना चाहिए। तथापि, यदि रोगी को किसी विशेषज्ञ की देखभाल की आवश्यकता हो, तो समस्या की प्रकृति के अनुसार दंत या मेडिकल विशेषज्ञों का उपयुक्त हवाला दिया जा सकता है। जिस बीमारी के लिए यह हवाला दिया गया था उसका उपचार होने के बाद रोगी को वापस उसके मूल दंत चिकित्सक के पास भेजने का कर्तव्य विशेषज्ञ का है। जबकि विशेषज्ञ उसकी फीस जमा कर सकते हैं जबकि हवाला देने वाले दंत सर्जन को कमीशन या किसी तरह के उपदान का भुगतान करना अनैतिक होगा।

(5.1.2) दंत सर्जन रेफरल के लिए रेडियोलाजिस्ट, प्रयोगशाला या दवा की दुकान से पैसे, उपहार या उपदान के रूप में किसी भी तरह का कमीशन नहीं लेगा। जांच के लिए सभी रेफरल, विवेकपूर्ण, न्यायोचित होने चाहिए और निदान पर पहुंचने के लिए रोगी के सर्वोत्तम हित में किए जाने चाहिए।

5.2 **रोगी के लाभ के लिए परामर्श** :

हर परामर्श में, रोगी को लाभ सबसे महत्वपूर्ण महत्व है। मामले में लिप्त सभी दंत सर्जन रोगी और उनके साथ आने के साथ उदार होना चाहिए।

5.3 **परामर्श में समय की पाबंदी :**

डेंटल सर्जन द्वारा विचार-विमर्श के लिए समय की पाबंदी का ध्यान रखा जाना चाहिए सिवाय अपरिहार्य पेशेवर देरी के मामले के जो न्यायोचित हो।

5.4 **राय और प्रकटीकरण**

(5.4.1) किसी भी परामर्शी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर और / या पैरामेडिकल स्टाफ (नर्सों आदि) के सभी कथन रोगी या उनके प्रतिनिधियों की दंत सर्जन की उपस्थिति में होने चाहिए, सिवाय उनके जिनके लिए अन्यथा सहमति हुई हो। मरीज या उसके रिश्तेदारों या मित्रों को विचार का प्रकटीकरण दंत सर्जन द्वारा किया जाएगा।

(5.4.2) राय में मतभेद का खुलासा अनावश्यक रूप से रोगी को नहीं किया जाना, लेकिन जब विचार कट्टर विरोधी हों तो रोगी या उसके रिश्तेदारों या मित्रों को हालात स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से बताए जाने चाहिए। यदि वे चाहें तो और सलाह लेना उन पर निर्भर करेगा।

5.5 **परामर्श के पश्चात उपचार:**

कोई अप्रत्याशित परिवर्तन होने पर सेवा करने वाले दंत सर्जन को बाद में उपचार में कोई बदलाव करने के किसी निर्णय से नहीं बचना चाहिए, लेकिन अगले परामर्श में, बदलाव के कारणों पर चर्चा की जानी चाहिए / समझाया जाना चाहिए। अपने दायित्वों के साथ यही विशेषाधिकार सलाहकार का होता है जब उसे सेवा कर रहे दंत सर्जन की अनुपस्थिति में आपात स्थिति में भेजा गया हो। सेवा कर रहे दंत सर्जन रोगी को कभी भी दवाई लिख सकता है जबकि सलाहकार केवल आपात-स्थिति के मामले में एक विशेषज्ञ के रूप में दवा लिख सकते हैं।

5.6 **विशेषज्ञों को रेफ़र किए गए रोगी :**

जब इलाज कर रहे दंत सर्जन द्वारा किसी रोगी को विशेषज्ञ के पास रेफर किया जाता है तो रोगी के मामले का सार विशेषज्ञ को दिया जाना चाहिए, इलाज कर रहे दंत सर्जन द्वारा विशेषज्ञ को लिखित में अपनी राय देनी चाहिए।

5.7 **फीस और अन्य शुल्क :**

(5.7.1) दंत सर्जन या उसके क्लिनिक द्वारा स्पष्ट रूप से प्रक्रिया के उपचार की लागत बताई जाएगी और होने वाले सभी संभावित खर्च की कीमत का अनुमान लगाया जाएगा। बाद में लागत में हुई किसी वृद्धि का दंत सर्जन द्वारा औचित्य साबित करना होगा। दंत क्लिनिक में फीस और अन्य शुल्कों के प्रदर्शन पर कोई रोक नहीं है। यदि दंत सर्जन ने खुद ही कोई दवा दी है तो नुस्खे में इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

(5.7.2) नुस्खे पत्र शीर्ष में दंत सर्जन द्वारा मान्यता प्राप्त डेंटल डिग्री के साथ अपना पूरा नाम, पदनाम और पंजीकरण का विवरण लिखा जाएगा।

नोट :सरकारी अस्पतालों में, जहां रोगियों की भारी भीड़ होती है, नुस्खा लिखने वाले चिकित्सक का नाम उनके हस्ताक्षर नीचे लिखा होना चाहिए।

अध्याय 4

6. दंत सर्जन का एक दूसरे के प्रति उत्तदायित्व

6.1 दंत सर्जन की एक दूसरे के प्रति निर्भरता:

दंत सर्जन को अन्य दंत चिकित्सकों, चिकित्सकों और उनके निकट परिवार के आश्रितों को नि:शुल्क सेवा प्रदान करना एक खुशी और सौभाग्य की बात माननी चाहिए। हालांकि जब इसमें महंगी सामग्री और समय शामिल हो, तो फीस स्वीकार करने वाले पर कोई अनिवार्य प्रतिबंध नहीं है।

6.2 परामर्श में आचरण :

परामर्श में कोई निष्ठाहीनता, प्रतिद्वंद्विता या ईर्ष्या लिप्त नहीं होनी चाहिए। दंत सर्जन /चिकित्सक प्रभारी को सभी उचित सम्मान दिया जाना चाहिए और कोई बयान या टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए जो उस पर दर्शाए गए विश्वास को क्षीण करता हो। इस उद्देश्य के लिए रोगी या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कोई चर्चा नहीं की जानी चाहिए।

6.3 सलाहकार को मामले का प्रभार नहीं लेना है :

जब किसी विशेषज्ञ दंत सर्जन को परामर्श के लिए बुलाया जाता है तो सलाहक़ार को सामान्य रूप से मामले का प्रभार नहीं लेना चाहिए विशेष रूप से रोगी या मित्रों की याचना पर। सलाहकार को रेफर करने वाले डेंटल सर्जन की आलोचना नहीं करनी चाहिए। वह रेफर करने वाले दंत सर्जन के साथ निदान उपचार योजना पर चर्चा करेंगे।

6.4 एवजी की नियुक्ति:

जब कोई दंत सर्जन अपने काम से अस्थायी तौर पर अनुपस्थित होने के दौरान अपने रोगियों के इलाज के लिए किसी अन्य दंत सर्जन से अनुरोध करता है तो पेशेवर शिष्टाचार के नाते केवल ऐसी नियुक्ति की स्वीकृति देना आवश्यक है जब उनमें अपने अन्य कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त जिम्मेदारी का निर्वहन करने की क्षमता हो। ऐसी नियुक्ति के तहत कार्य कर रहे दंत सर्जन को अनुपस्थित दंत सर्जन के हितों और प्रतिष्ठा की लिए अत्यंत ध्यान देना चाहिए और उनके वापस आने के बाद ऐसे सभी रोगियों को देखभाल के लिए उनके पास वापस भेजना चाहिए।

6.5 अन्य मामले देखने जाना:

जब सरकारी हैसियत वाले किसी दंत सर्जन की किसी स्थिति और उपयुक्त उपचार को देखने और रिपोर्ट करने की ड्यूटी बन जाती है, उसे उपस्थित दंत सर्जन को सूचित करना चाहिए ताकि उसे उपस्थित होने का विकल्प दिया जा सके। सरकारी हैसियत वाले मेडिकल अफसर / दंत सर्जन को अपनाए गए निदान या उपचार पर कोई टिप्पणी करने से बचना चाहिए।

अध्याय 5

7. दंत सर्जन की जनता और पैरामेडिकल पेशे वालों के प्रति ड्यूटी

7.1 नागरिकों के रूप में डेंटल सर्जन:

विशेष प्रशिक्षण प्राप्त दंत सर्जन को, अच्छे नागरिक के रूप में, सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर सलाह का प्रसार करना चाहिए। उन्हें समुदाय के कानूनों को लागू करने और मानवता के हितों को आगे बढ़ाने वाली संस्थाओं को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उन्हें विशेष रूप से सेनेटरी/सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून और नियमों के प्रशासन के अधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहिए।

7.2 सार्वजनिक और सामुदायिक स्वास्थ्य:

दंत सर्जन, विशेष रूप से वे जो सार्वजनिक स्वास्थ्य दंत चिकित्सा में लगे हुए है, उन्हें मुख स्वास्थ्य और मुख की बीमारियों की रोकथाम जैसे दंत क्षय, पीरियोडेंटल स्वास्थ्य, पूर्व कैंसर घावों और मौखिक कैंसर के विषय में जनता को समझाना चाहिए। डेंटल सर्जन को हर समय स्वास्थ्य प्राधिकरण के कानूनों,

नियमों और विनियमों के अनुसार अपनी देखरेख में संचारी रोग के हर मामले की सूचना गठित सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों या अस्पतालों को देनी चाहिए।

7.3 **फार्मासिस्ट / नर्स :**

दंत सर्जन को विभिन्न पैरामेडिकल सेवाओं के अभ्यास जैसे दंत स्वास्थ्य विज्ञानवेत्ता, डेंटल मैकेनिक, फार्मेसी और नर्सिंग को पेशे के रूप में मान्यता देनी चाहिए और जहां कहीं आवश्यकता हो, उनका सहयोग लेना चाहिए।

अध्याय 6

8. **अनैतिक कार्य:**

दंत सर्जन निम्नलिखित कृत्यों में न तो सहयोग करेगा या न उकसाएगा या न करेगा। इन विनियमों के प्रयोजन के लिए दंत सर्जन सभी पंजीकृत चिकित्सकों को संदर्भित करता है चाहे वे व्यक्तिगत निजी प्रैक्टिस में हों, अस्पतालों, शिक्षण अस्पतालों के साथ संलग्न हों या अन्य लोगों द्वारा नियोजित हों , भले ही वे कॉर्पोरेट हों या अन्यथा :

8.1 **विज्ञापन :**

डेंटल / मेडिकल पेशेवरों द्वारा विज्ञापन की नैतिकता के मुद्दे पर वैश्विक स्थिति पिछले कुछ दशकों में काफी बदल गई है। दंत चिकित्सक या दंत चिकित्सकों का कोई समूह विज्ञापन दे सकता है बशर्ते कि वे उच्च नैतिक दायित्वों और महत्व को ध्यान में रखते हुए मर्यादा को बनाए रखें जैसाकि समाज को उनके काम की महत्वपूर्ण प्रकृति और उनसे अपेक्षित नैतिक चरित्र और अखंडता की आशा है। दंत सर्जनों से निष्ठा, ईमानदारी, और नि:स्वार्थ सेवा प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है। अपने रोगियों के कल्याण के लिए आर्थिक प्रतिबद्धताएं केवल सहायक हो सकती हैं।

इन परिस्थितियों में यह अनैतिक है :

(8.1.1) राष्ट्रीय विज्ञापन परिषद या देश के किसी अन्य विनियामक विज्ञापन निकाय के उल्लंघन में व्यक्तियों, क्लीनिकों या अस्पतालों के विज्ञापन या प्रत्यक्ष विपणन के माध्यम से नीचा दिखाने, लोभ और झूठे वादे में लिप्त होना;

(8.1.2) विज्ञापन देना, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या सम्बद्ध या कॉर्पोरेट निकायों सहित किसी भी संगठन या कंपनी के साथ नियोजित होकर जो एक तरह इस तरह की गतिविधियों में इस तरीके से लिप्त हों जो कमजोर वर्ग को पूर्णतया लक्षित करके और स्कूलों, कॉलेजों, वृद्धाश्रमों में शिविर और अन्य प्रोत्साहन गतिविधियों के आयोजन और हेंडबिलों, दावा वाउचरों और अन्य व्यावसायिक प्रोत्साहन गतिविधियों द्वारा अनुचित पेशेवर लाभ देता हो। डेंटल और मेडिकल व्यक्तियों के पंजीकृत निकाय सहित पंजीकृत धर्मार्थ संगठनों को हालांकि छूट दी गई है; जो परोपकारिता से बाहर पूरी तरह से नि:शुल्क दंत चिकित्सा देखभाल और उपचार उपलब्ध कराते हैं;

8.1.3) उनके साथ संबध या नियोजित होना जो प्रेस रिपोर्टों के माध्यम से इस तरह के झूठे और भ्रामक विज्ञापनों या प्रकाशन की खरीद या मंजूरी प्राप्त करते हैं ,जो प्रलोभन, छूट और झूठे लाभों का वादा करते हैं।

(8.1.4) इस तरीके से रोगियों को हासिल करने के उद्देश्य से किसी एजेंट या पक्ष प्रचारक को रोजगार पर रखना जो वाणिज्यिक हो; उनके साथ सम्बद्ध हो या उनके द्वारा काम पर रखा गया हो जो इस तरह के रोजगार को प्राप्त करते हैं या मंजूरी देते हैं;

(8.1.5) अन्य संकेत की अपेक्षा बेढंग रूप से किसी भी अधिकतर बड़े संकेत का प्रयोग करना या प्रदर्शन करना जो अपने स्वरूप, स्थिति, आकार और शब्दों में केवल ऐसा है जिसकी उन परिसरों के सही स्थान और प्रवेश मार्ग ढूँढने वाले व्यक्तियों के संकेत के लिए यथोचित आवश्यक हो सकता है जिनमें दांत अभ्यास किया जाता है और कहीं नहीं।

)8.1.6) वाणिज्यिक सामानों जैसे टूथ पेस्ट, टूथ ब्रश, टूथ पाउडर, माउथ वाश, तरल क्लीनर, या इस तरह के सामान को नामित करने के लिए दंत सर्जन के नाम के प्रयोग की अनुमति देना सिवाय इसके कि यदि ऐसा सामान डेंटल क्लिनिक जैसे डेंचर, क्राउन,ब्रिजेज़ आदि में निर्मित किया जाता है;

(8.1.7) सामान्य में, किसी भी प्रक्रिया, उपकरण पर दंत सर्जन की राय के प्रकाशन की अनुमति देना या कागजात रखना या जर्नल रखना सिवाय इसके जब साक्ष्य आधारित अध्ययनों द्वारा मान्य या समर्थित हो;

(8.1.8) टीवी कार्यक्रमों, मेगजीनों या पत्रिकाओं के माध्यम से जनता को शिक्षित करने की आड़ में सरोगेट विज्ञापनों में लिप्त होना। अच्छे विश्वास और इरादे से जनता के लिए फैलाई गई किसी सार्वजनिक सूचना में रोगियों को आकर्षित करने के लिए दंत सर्जन या उसे रोजगार देने वाले क्लीनिक के पते, टेलीफोन नंबर, ई - मेल पते आदि नहीं होना चाहिए;

(8.1.9) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टेलीविजन कार्यक्रमों में विज्ञापन देना जो परदे पर 'स्क्रोलर' के रूप में दंत चिकित्सकों या ऐसे दंत चिकित्सकों को रोजगार देने वाले क्लीनिकों के नाम, पते, टेलीफ़ोन न .का प्रदर्शन करता है;

8.2 <u>याचना करना:</u>

दंत सर्जन द्वारा, दंत सर्जन के समूह द्वारा या संस्थाओं या संगठनों द्वारा, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, रोगियों की याचना करना अनैतिक है (इस दस्तावेज के 8.2.1 से देखें 8.2.10 को देखें, संशोधित दंत चिकित्सक आचार संहिता विनियम, 2012) सिवाय इसके जब बाद में उल्लेख किए गए उपबंधों के तहत अनुमति दी गई हो। दंत सर्जन स्वय (या अपने नाम) का प्रयोग अकेले या दूसरों के साथ संयोजन के रूप में किसी भी विधा के माध्यम से विज्ञापन के किसी रूप या तरीके के माध्यम से नहीं करेगा जो ऐसे स्वरूप की हो जो उसका या उसकी पेशेवर उसे या के लिए ध्यान आमंत्रित करने के रूप में इस तरह के एक चरित्र का है जो उसका या उसकी पेशेवर स्थिति, कौशल, योग्यता, उपलब्धियों, योग्यताओं, विशेषताओं, नियुक्तियों, संघों, संबद्धता या सम्मान और/या ऐसे चरित्र के रूप में ध्यान आकर्षित करेगा जो आमतौर पर उनकी आत्म -उन्नति का प्रतिफल होगा। दंत सर्जन किसी व्यक्ति को दवा, चिकित्सा, नोस्ट्रम उपचार, शल्य चिकित्सा, या चिकित्सकीय लेख, उपस्कर या उपकरण, या कोई वाणिज्यिक उत्पाद,किसी संपत्ति से संबन्धित सामान, उसकी गुणवत्ता या उपयोग या उसकी कोई जांच, प्रदर्शन या परीक्षण के संबंध में क्षतिपूर्ति या अन्यथा, किसी भी अनुमोदन, सिफारिश, बेचान, प्रमाण पत्र, रिपोर्ट या बयान, किसी भी विधा के माध्यम से विज्ञापन या प्रचार के किसी भी रूप या तरीके के विषय के रूप में अपने नाम, हस्ताक्षर या फोटोग्राफ के उपयोग के संबंध में किसी भी व्यक्ति को नहीं देगा न ही वह मामले, ऑपरेशन, इलाज, उपचार की शेख़ी बघारेगा या किसी भी तरीके के माध्यम से उसकी रिपोर्ट के प्रकाशन की अनुमति नहीं देगा।

हालांकि दंत सर्जन को निम्नलिखित के बारे में नैतिकता की दृष्टि से स्वीकार्य व्यवहार के रूप में प्रेस में एक औपचारिक घोषणा करने की अनुमति दी गई है:

(8.2.1) अभ्यास शुरू करने पर।

(8.2.2) अभ्यास के प्रकार के परिवर्तन पर।

(8.2.3) पता बदलने पर।

(8.2.4) समय की एक लम्बी अवधि के लिए ड्यूटी से अस्थायी अनुपस्थिति पर।

(8.2.5) लम्बी अवधि के ब्रेक के बाद अभ्यास पुन आरंभ करने पर ।

(8.2.6) एक और अभ्यास के लिए सफल होने पर।

(8;2.7) 'सर्वोत्तम' या 'प्रथम' होने के दावों के बारे में बिना शेख़ी बघारे नए उपकरण या सेवाओं की उपलब्धता के बारे में , विषेशरूप से यदि ऐसी सेवाएँ अन्य सुविधाओं में पहले से ही उपलब्ध हों।

(8.2.8) टेलीफोन डायरेक्टरी, येलो पेजेज़ या इंटरनेट पर प्रविष्टि के माध्यम की अनुमति है और केवल सार्वजनिक के रूप में माना जाएगा। हालांकि दूसरों पर श्रेष्ठता या विशेष कौशल के किसी भी दावे को अनैतिक व्यवहार के रूप माना जाएगा।

(8.2.9) दंत चिकित्सकों या दंत क्लीनिक के बारे में वेबसाइटों के रखरखाव के माध्यम से, जहां सारी जानकारी तथ्यात्मक है, दी गई सूचना को अनैतिक व्यवहार नहीं माना जाएगा। वेबसाइटों में उपलब्ध उपचार सुविधाओं और उसकी फीस की जानकारी भी दी जा सकती है। यह वास्तव में पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से विकल्प बनाने में रोगियों की मदद करेगी। हालांकि वेबसाइटों पर ऐसा दावा या बयान नहीं देना चाहिए जो तथ्यात्मक नहीं हैं और इसलिए जनता को गुमराह करने वाले हों।

8.3 **<u>प्रचार और साइनेज :</u>**

(8.3.1) पत्र शीर्ष में या परामर्श कक्ष या किसी भी तरह के नैदानिक स्थापना के साइन बोर्ड पर अपना फोटो या प्रचार की ऐसी किसी भी सामग्री के मुद्रण को आत्म विज्ञापन और चिकित्सक की ओर से अनैतिक आचरण के कृत्यों के रूप में माना जाएगा। हालांकि, स्केच मुद्रण, चित्र, मानव प्रणाली के चित्र को अनैतिक नहीं माना जाएगा;

(8.3.2) अन्य संकेत की अपेक्षा बेढंग रूप से किसी भी अधिकतर बड़े संकेत का प्रयोग करना या प्रदर्शन करना जो अपने स्वरूप, स्थिति, आकार और शब्दों में केवल ऐसा है जिसकी उन परिसरों के सही स्थान और प्रवेश मार्ग ढूँढने वाले व्यक्तियों के संकेत के लिए यथोचित आवश्यक हो सकता है जिनमें दांत अभ्यास किया जाता है, को अनैतिक माना जाता है। इनमें शामिल है :

(8.3.2.1) इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल के साथ साइन बोर्ड का उपयोग जो पेशे की गरिमा को कम करते हों या परिसरों में अभ्यास से संबधित सूचना के अलावा जिनमें वास्तव में अभ्यास किया जाता है, या प्रदर्शन मामले, या चल प्रकाश साइन बोर्ड और अधिनियम की धारा 2 के खंड (जे) के तहत परिभाषित किए अनुसार उसके नाम और योग्यता की तुलना में अन्य किसी भी बात को दर्शाने वाले साइन बोर्ड का उपयोग;

8.3.2.2) एक केमिस्ट की दुकान पर या ऐसे स्थानों में साइन बोर्ड लगाना जहां दंत चिकित्सक नहीं रहते हैं या काम नहीं करते हैं।

(8.3.3) दंत सर्जन नाम पट्ट पर और /या कार्यालय लेखन सामग्री (विजिटिंग कार्ड,पत्र शीर्ष इत्यादि) पर प्रदर्शित संकेत के माध्यम से एक विशेषज्ञ होने का दावा नहीं करेगा जब तक उनके पास उस विशेषज्ञता में विशिष्ट अर्हता नहीं है (जो परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है) दंत सर्जन दंत चिकित्सा की सभी शाखाओं में अभ्यास कर सकता है बशर्ते कि वह संबंधित शाखा या शाखाओं में पर्याप्त अर्हता, क्षमता और सदाशयी प्रशिक्षण दिखाता है।

8.4 एकस्व (पेटेन्ट) एवं स्वात्वाधिकार (कापीराइ):

एक दंत शल्य चिकित्सक शल्य चिकित्सा उपकरणों, यंत्रों औषधि का पेन्टेन्ट या उसके प्रयोगों, प्रणालियों एवं क्रियाविधियों का स्वात्वाधिकार प्रयोगों, प्रणालियों एवं क्रियाविधियों का स्वत्वाधिकार करवा सकता है। तथापि यह अनैतिक होगा यदि इस प्रकार के पेटेन्ट या कापीराइट के लाभों को उन स्थितियों में उपलब्ध नहीं करवाया जाता है जहां बड़ी संख्या में लोगों के हित शामिल हों।

8.5 ओपन दुकान चलाना (चिकित्सक द्वारा औषधियों एवं यंत्रों को तैयार करना) :

दंत शल्य चिकित्सक को उससे भिन्न डाक्टरों द्वारा निर्धारित नुस्खे देने के लिए औषधि की बिक्री के लिए या दंत चिकित्सा या शल्यचिकित्सा यंत्रों की बिक्री के लिए बाहरी दुकान नहीं चलानी चाहिए। दंत शल्य चिकित्सक के लिए औषधियों का निर्धारण, आपूर्ति या बिक्री, अपने क्लिनिक में उपचार या दंत यंत्र अनैतिक नहीं है जब तक कि रोगियों का किसी प्रकार का शोषण नहीं होता है। दंत शल्य चिकित्सक द्वारा निर्धारित औषधियां या रोगी के लिए बाजार से ली गई औषधि में मालिकाना एवं औषधि के सामान्य नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।

8.6 छूट एवं कमीशन:

(8.6.1) दंत शल्यचिकित्सक न तो किसी प्रकार के उपहार, उपदान, कमीशन या बोनस देगा, मांग करेगा या प्राप्त करेगा और न ही बदले में दंत, चिकित्सा, शल्यचिकित्सा या अन्य उपचार के लिए किसी रोगी को भेजेगा, सिफारिश करेगा या उससे कुछ प्राप्त करेगा। शल्य चिकित्सक प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षतः न तो किसी मतभेद, हस्तांतरण, समनुदेशन, वशीकरण, छूट, विखंडन के कार्य में सहभागी या पार्टी होगा या चिकित्सा, शल्यचिकित्सा या अन्य उपचार के लिए किसी फीस को विखंडित या वापस नहीं करेगा।

(8.6.2) धारा 8.6.1 के उपबंध (इस दस्तावेज के, आचार संहिता विनियम, 2012 का संशोधित दंत चिकित्सक बोर्ड)चिकित्सक या किसी व्यक्ति द्वारा उल्लिखित करने, सिफारिश करने, रोग निदान प्रयोजनों या अन्य अध्ययन/कार्य के लिए नमूना या सामग्री के लिए समान रूप से लागू होगा। तथापि, इस धारा में योग्य चिकित्सक द्वारा उसके पर्यवेक्षण के अंतर्गत चिकित्सा प्रदान करने वाले अन्य विधिवत योग्य व्यक्ति को वेतन का भुगतान निषिद्ध होगा।

8.7 गुप्त उपचार:

इस प्रकार के गुप्त उपचारों को, जिनके मिश्रण या निर्माण या उसके उपयोग के विकास से वह अनभिज्ञ है, उन्हें चिकित्सक द्वारा निर्धारित करना या देना अनैतिक है और निषिद्ध है। दंत शल्य चिकित्सक द्वारा निर्धारित सभी औषधियों पर स्वामित्व फार्मूला एवं स्पष्ट नाम होना चाहिए।

8.8 मानव अधिकार:

चिकित्सक किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक यातना में न तो सहायक होगा और न ही इसे छिपाएगा, ऐसा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या एजेंसी द्वारा किया जाना मानव अधिकारों का उल्लंघन है।

8.9 अनैतिक कृत्य:

निम्नलिखित कृत्य दंत चिकित्सक के लिए अनैतिक कृत्य होंगे:

(8.9.1) दंत चिकित्सक पेशेवर प्रेक्टिस या किसी अन्य पेशेवर सहायक (रजिस्टर्ड दंत चिकित्सक स्वास्थ्य विज्ञानी या रजिस्टर्ड दंत चिकित्सक मैकेनिक के नाते नहीं) में दंत चिकित्सक/दंत चिकित्सक शल्य चिकित्सक को नियोजित नहीं करेगा जिसका नाम